



2026:AHC:125836

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18799 वर्ष 2026

हसीन उर्फ भूरा

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : विवेक सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह की ओर से उपस्थित श्री आशीष शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 351/2026, धारा 111(2) बीएनएस और 3/5/7/12/25 आर्म्स एक्ट, पुलिस स्टेशन लिसारी गेट, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि तीन सह-आरोपी शादाब, अमजद उर्फ बाबी और मोइन को इस अदालत द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आगे यह भी बताया गया है कि एफआईआर के अनुसार, एक देसी पिस्तौल, एक हैंड कटर, एक छोटा ग्राइंडर और एक आरी का ब्लेड तथा कुछ अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये वस्तुएं आवेदक और चार अन्य सह-आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई हैं। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका विस्तृत विवरण आवेदन पत्र में दिया गया है। आवेदक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11.5.2026 से जेल में बंद है। यदि उन्हें जमानत मिल जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. तीन सह-आरोपी शादाब, अमजद उर्फ बाबी और मोइन को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन किया जाता है कि एफआईआर के अनुसार, आवेदक और चार अन्य सह-आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक हैंड कटर, एक छोटा ग्राइंडर, एक आरी का ब्लेड और कुछ अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं। आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका विस्तृत विवरण आवेदन ज्ञापन में दिया गया है। आवेदक 11.5.2026 से जेल में बंद है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **हसीन उर्फ भूरा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जमानत देने की नीति रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के मामले में, दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

5 जून, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।